सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

(कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें)

अधिनियम, 1971 पर

विवरणिका

Brochure on

Comptroller and Auditor General's

(Duties, Powers and Conditions of Service)

Act, 1971

विषय सूची

1	प्रस्तावना	**1**
2	संवैधानिक प्रावधान	**3**
3	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें, अधिनियम, 1971	**5**
4	अधिनियम में संशोधन	**22**
5	महत्वपूर्ण निर्णय	**29**
6	भारत सरकार के निर्देश	**35**
7	व्याख्या	**37**
8	अनुलग्नक I	**52**
9	अनुलग्नक II	**54**

प्राक्कथन

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड स्पष्ट विधिक आदेश के साथ सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए संवैधानिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के रूप में भी जाना जाता है) को राष्ट्र के लेखापरीक्षक के रूप में अधिदेशाधीन किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में प्रतिष्ठापित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शाक्तियों को आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में स्पष्ट किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों पर विवरणिका को सर्वप्रथम 1980 में और उसके बाद 1992 में प्रकाशित किया गया था। इस संशोधित संस्करण को वर्तमान विवरणिका को अद्यतन करने हेतु लाया गया है। हम इसके अतिरिक्त सीएजी की भूमिका की उचित विवेचना के लिए सीएजी (डीपीसी) अधिनियम में संशोधन और विशेष न्यायिक निर्णयों के सार को अतिरिक्त रूप से समाविष्ट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह संशोधित संस्करण पाठकों के लिए बहुत मूल्यवान एवं रूचिकर होगा।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: जनवरी 2014

1

प्रस्तावना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका ब्रिटिश भारत में कार्यप्रणाली एवं परम्परा के माध्यम से विकसित हुई। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने नवम्बर 1860 में पहले महालेखापरीक्षक सर एडवर्ड ड्रमण्ड की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। मोन्टफोर्ड सुधार 1919 के अन्तर्गत महालेखापरीक्षक सरकार से स्वतंत्र हो गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने महालेखापरीक्षक की स्थिति को सुदृढ़ किया। भारत सरकार (लेखापरीक्षा एवं लेखा) आदेश 1936 ने महालेखापरीक्षक की सेवा शर्तों को निर्धारित किया। यह आदेश लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के संबंध में महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों तथा शक्तियों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

भारतीय संविधान ने राष्ट्र के लेखापरीक्षक के रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिदेशाधीन किया है। कार्यकारिणी से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्वातन्त्र्य संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है। संघ एवं राज्यों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 150 में दिया गया है। अनुच्छेद 151 के अनुसार उनकी रिपोर्टे राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी है और संबंधित विधानमण्डलों को पेश की जानी है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1953 को उनके कार्यालय अवधि, देय पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों को परिभाषित करने के लिए लागू किया गया था। बाद में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में व्याख्या की गई है। भारत सरकार (लेखापरीक्षा एवं लेखा) आदेश 1936 और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तें अधिनियम 1953 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के पारित किए जाने के बाद निरस्त कर दिया गया था।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 संवैधानिक प्रावधानों की तीन विशिष्ट विशेषताओं को विस्तारित करता है। कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम (अधिनियम का अध्याय I) की धारा 1 से 9 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सेवा की शर्तों से संबंधित है। अधिनियम (अधिनियम का अध्याय II) की धारा 10 से 12, संघ एवं राज्यों के लेखाओं से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करती है। अधिनियम (अधिनियम का अध्याय III) की धारा 13 से 20 संघ एवं राज्यों दोनों को आवृत करते हुए व्यय, प्राप्तियों, सरकारी कम्पनियों/निगमों आदि की लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करती है। अधिनियम का अध्याय IV विविध प्रावधानों को आवृत करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम में तब से संशोधन किया गया है। चार ऐसे संशोधनों को इस प्रकाशन में शामिल किया गया है। कभी-कभी निष्पादन लेखापरीक्षा के संदर्भ में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आदेश के संबंध में शंकाए उत्पन्न की गई हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में जून 2006 में यह स्पष्ट करते हुए कि निष्पादन लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आती है, निर्देश जारी किए थे। भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि भी इस विवरणिका में शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विनियमों की सांविधिक वैधता से संबंधित मामले, कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की सीमा से संबंधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों पर न्यायपालिका द्वारा विचार किया गया है। कुछ निर्णयों के सार को भी शामिल किया गया है। यह प्रकाशन ऐसे कुछ पूर्ववर्ती विकासों के साथ-साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को एक साथ लाने का प्रयास है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 पर टिप्पणी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आदेश की सराहना को सरल बनाने हेतु दिया गया है।

2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान

अध्याय V

148. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक:-

(1) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(3) नियंत्रक-महोलखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करें और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति छुट्टी, पेंशन या निवृति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अपने पद पर न रह जाने के पश्चात्, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।

(5) इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

149. नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां:-

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य किसी प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया

जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमश: भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

150. संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप :–

संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (परामर्श के पश्चात) विहित करें।

151. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनः-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

3

कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के
(कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें)
संशोधन अधिनियम, 1971

खण्डों का प्रबंधन

अध्याय I
प्रारम्भिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम
2. परिभाषाएं

अध्याय II
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

3. वेतन
4. कार्यालय की अवधि
5. अवकाश
6. पेन्शन
7. पेन्शन का सरांशीकरण
8. सामान्य भविष्य निधि में अंशदान देने का अधिकार
9. सेवा की अन्य शर्तें

अध्याय III
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

10. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करने हेतु
11. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखाओं को तैयार करने और राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ राज्यों में विधान सभाएं हैं उनके प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए

12. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ और राज्यों को जानकारी देना और उनकी सहायता करना
13. लेखापरीक्षा से संबंधित सामान्य प्रावधान
14. संघ या राज्य राजस्वों से निरंतर वित्त पोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा
15. अन्य प्राधिकरणों या निकायों को दिए गए अनुदानों या ऋणों के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्य
16. संघ या राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा
17. भण्डारों एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा
18. लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां
19. सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा
19ए. सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के लेखाओं के संबंध में रिपोर्टें प्रस्तुत करना
20. कतिपय प्राधिकरणों या निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अध्याय IV

विविध

खण्ड

21. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति का प्रत्यायोजन
22. नियम बनाने की शक्ति
23. विनियम बनाने की शक्ति
24. ब्यौरेवार लेखापरीक्षा से अभिमुक्त करने की शक्ति
25. निरसन
26. शंकाओं का समाधान

कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

(कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें)

अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम सं. 56)

(15 दिसम्बर 1971)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने और उसके कर्तव्यों तथा शक्तियों को निर्धारित करने और उनसे सम्बन्धित या उससे अनुषंगी मामलों के लिए एक अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के बाईसवें वर्ष में इसका संसद द्वारा निम्न प्रकार से अधिनियमन किया जाएः-

अध्याय ।

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 है।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) किसी सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों के संबंध में "लेखे " के अन्तर्गत व्यवसाय, विनिर्माण तथा लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन-पत्र और अन्य सहायक लेखे भी हैं;

(ख) "विनियोग लेखे" से वे लेखे अभिप्रेत हैं जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखे में लाए गए व्यय को संविधान के अथवा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, भारत की या किसी राज्य की, या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से धन के विनियोग के लिये बनाई गई विधि में विनिर्दिष्ट विभिन्न मदों से संबद्ध करते हैं;

(ग) "नियंत्रक-महालेखापरीक्षक" से संविधान के अनुच्छेद 148 के अधीन नियुक्त भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है;

(घ) "राज्य" से संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "संघ" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र आता है, चाहे उसमें विधान सभा हो या न हो।

अध्याय II

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

वेतन

3. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व संघ की सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी राज्य की सरकार के या उसके पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के अधीन, किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (विकलांगता या क्षत पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था, या, प्राप्त करने के लिये पात्र होते हुए उसने ऐसी पेंशन लेने का निश्चय किया था, तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा अर्थात् :-

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि पद ग्रहण करने के पूर्व उसने ऐसे पूर्ववर्ती सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका सारांशीकृत मूल्य प्राप्त कर लिया था तो पेंशन के उस भाग की रकम

पदावधि

4. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, छह वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगाः

परन्तु जहां वह छह वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वहां वह ऐसा पद उस तारीख को रिक्त कर देगा जिसको वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है:

प्रावधान करता है कि वह, किसी भी समय, राष्ट्रपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

स्पष्टीकरण: - इस धारा के प्रयोजन के लिये, उस नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की बाबत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा हो, छह वर्ष की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिसको उसने पद ग्रहण किया था।

अवकाश

5 (1) किसी व्यक्ति को जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, उसके पद की अवधि के दौरान न कि उसके पश्चात् उन नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो उस सेवा को तत्समय लागू हो जिसमें वह ऐसी तारीख के पूर्व था और धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी वह ऐसी तारीख को अपने नाम जमा छुट्टी का अग्रेषण करने का हकदार होगा।

(2) किसी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की या उसे मंजूर की गई छट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होगी।

पेंशन

6. (1) किसी व्यक्ति के बारे में, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह उस सेवा में उस तारीख को निवृत्त हो गया जिसको वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करता है किंतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा चालू रहने वाली अनुमोदित सेवा मानी जाएगी जिसे उस सेवा में पेशन के लिये गणना में लिया जाएगा जिसमें वह था।

(2) हर एक व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करता है, उक्त पद को छोड़ने पर, प्रति वर्ष पन्द्रह हजार रूपये की राशि की पेंशन का पात्र होगा जिस राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों का, उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, तथा उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, समतुल्य पेंशन का योग सम्मिलित होगाः

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उस सेवा को, जिसमें वह था तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन, उक्त पन्द्रह हजार रूपये की राशि से उच्चतर पेंशन का पात्र है या किसी समय हो जाता है तो वह पेंशन के रूप में उक्त उच्चतर रकम लेने का पात्र होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत कोई पेंशन पा रहा था, या पाने का पात्र हो गया था, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने पर प्रति वर्ष पन्द्रह हजार रूपये की पेंशन का पात्र होगा जिस राशि में उसे संदेय सभी पेंशनों, उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग का, यदि कोई हो, और उस सेवा को जिसमें वह था तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान के, यदि काई हो, समतुल्य पेंशन का योग सम्मिलित होगाः

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उस सेवा को, जिसमें वह था, तत्समय शासित करने वाले नियमों के अधीन उक्त पंद्रह हजार रूपये की राशि से उच्चतर पेंशन का पात्र है या किसी समय हो जाता है तो वह पेंशन के रूप में उक्त उच्चतर रकम लेने का पात्र होगा।

(4) कोई अन्य व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उक्त पद को छोड़ने पर प्रति वर्ष पन्द्रह हजार रूपये की पेंशन का पात्र होगा।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, स्वविकल्पानुसार, या जो उस दर से जिससे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशा में उसे पेंशन अनुज्ञेय होती या इस धारा में विनिर्दिष्ट दर से पेंशन लेने का पात्र होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद त्यागपत्र द्वारा छोड़ता है, इस प्रकार छोड़ने पर, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये दो हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से पेंशन का पात्र होगाः

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, इस उपधारा के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की कुल रकम उसकी पेंशन के संराशीकृत प्रभाग, यदि कोई हो, के सहित पेंशन की रकम, तथा उस सेवा को, जिसमें वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, तत्समय लागू नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय निवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, के समतुल्य पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष पंद्रह हजार रूपये या, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट उच्चतर पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(6क)[1] इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1984 के प्रारंभ के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद (चाहे उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ता है, इस प्रकार छोडने पर–

(क) उस पेंशन का हकदार होगा जिसका हकदार वह उस सेवा के नियमों के अधीन, जिसमें वह था, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में अपनी सेवा की ऐसी सेवा में पेंशन के लिये गिनी जाने वाली निरंतर अनुमोदित सेवा के रूप में संगणना करके हकदार हुआ होता; और

(ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक रूप में सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के बाबत सात सौ रूपये प्रति वर्ष की विशेष पेंशन का हकदार होगा;

(6ख) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन

[1] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम (1984 का 2) द्वारा समाविष्ट

अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद (चाहे उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ता है, इस प्रकार छोडने पर-

(क) सरकार के अधीन किसी पूर्वतन सेवा की बाबत अपने को संदेय पेंशन का हकदार होगा; और

(ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत सात सौ रूपये प्रतिवर्ष की विशेष पेंशन का हकदार होगा।

(6ग) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी[2], कोई व्यक्ति, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) संशोधन अधिनियिम, 1987 के प्रारंभ के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद (चाहे उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ता है, तो इस प्रकार पद छोड़ने पर वह –

(क) एक पेंशन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय पेंशन के बराबर होगी:-

(i) यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति है तो, समय समय पर यथा संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची के भाग 3 के प्रावधानों के अनुसार; और

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति है तो, समय समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची के भाग I के प्रावधानों के अनुसार,

(ख) ऐसी पेंशन (जिसके अंतर्गत पेंशन का सारांशीकरण है), परिवार पेंशन और उपदान का, जो समय समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है, हकदार होगा।

(6घ) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसने 16 दिसंबर 1987 के पहले किसी समय नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पद (चाहे उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा) छोड़ा है, उस तिथि को और उस तिथि से उप धारा 6(ग) में विनिर्दिष्ट पेंशन का हकदार होगा।

(7) यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद छोड़ने वाला कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी पेंशन का पात्र नहीं है किन्तु उस सेवा को, जिसमें वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व था, तत्समय लागू नियमों के अधीन पेंशन का पात्र है तो

[2] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम (1987 का 50) के अन्तर्गत समाविष्ट, 16.12.87 से प्रभावी

वह, उस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पेंशन लेने का पात्र होगा जो उसे उक्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय है।

(8) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में उस दशा के सिवाय जब वह त्याग-पत्र द्वारा अपना पद छोड़ता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, यह तभी समझा जाएगा कि उसने उस रूप में ऐसा पद छोड़ दिया है जब –

(क) उसने धारा 4 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ली है; अथवा

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; अथवा

(ग) चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है।

7. लोप[3] किया गया।

साधारण भविष्य निधि में अभिदान करने का अधिकार

8. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदान करने का हकदार होगा।

सेवा की अन्य शर्तें

9. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय[4], यात्रा भत्ता, किराया मुक्त मकान की सुविधा और ऐसे किराया मुक्त मकान के मूल्य पर आय कर के संदाय से छूट यातायात सुविधाएँ, सत्कार भत्ता और चिकित्सा सुविधा से संबंधित सेवा की शर्तें तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं जहां तक हो सके, किसी सेवारत या सेवानिवृत्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लागू होंगी।

परन्तु इस धारा की किसी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, पूर्वोक्त विषयों में से किसी की बाबत उनसे कम अनुकूल निबंधन प्राप्त हों, जिनका वह उस सेवा के सदस्य के रूप में हकदार होता जिसमें वह था, और ऐसी दशा में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा, इस परन्तुक के प्रयोजन के लिये, उस सेवा में जिसमें वह था चालू रहने वाली सेवा मानी जाएगी।

---

[3] *7. पैन्शन का रूपान्तरण*

7.अभी के लिए सिविल पैन्शन (सारांशीकरण) नियम राष्ट्रपति द्वारा किए गए ऐसे रूपान्तरणों सहित उस व्यक्ति पर लागू होगा जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पद पर नियुक्त था 1987 के अधिनियम 50 के अन्तर्गत हटाया गया।

[4] *जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति की अन्य सेवा शर्तें, जिनमें किसी अवधि में भारत से बाहर की गई सेवा की परिलब्धियां ताकि ड्यूटी पर की गई यात्राओं का यात्रा-भत्ता भी शामिल हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य जो भारत सरकार के सचिव स्तर पर कार्य कर रहा हो, को लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।*

(1987 के 50 वें अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित)

अध्याय 3
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां

नियत्रंक-महालेखापरीक्षक द्वारा संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करना

10. (1) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार होगा, अर्थातः-

(क) संघ और हर एक राज्य के लेखाओं का संकलन उन प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से करना जो ऐसे लेखाओं के रखने के लिये जिम्मेदार खजानों, कार्यालयों या विभागों द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को दिये जाएं; और

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में ऐसे लेखाओं को रखना जो आवश्यक हों:

परन्तु राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसे निम्नलिखित का संकलन करने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा-

(i) संघ के उक्त लेखे (या तो तत्काल या विभिन्न आदेश जारी करके धीरे-धीरे); अथवा

(ii) संघ की किन्हीं विशिष्ट सेवाओं अथवा विभागों के लेखे:

परन्तु यह और कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसे निम्नलिखित का संकलन करने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

(i) राज्य के उक्त लेखे (या तो तत्काल या विभिन्न आदेश जारी करके धीरे धीरे); अथवा

(ii) राज्य की किन्हीं विशिष्ट सेवाओं अथवा विभागों के लेखे:

परन्तु यह भी कि राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा उसे किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के लेखाओं को रखने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

(2) जब, किसी व्यवस्था के अधीन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार रहा है, अर्थात् –

(i) संघ या किसी राज्य की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखाओं का संकलन करना; अथवा

(ii) किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के लेखाओं को रखना,

तब ऐसी व्यवस्था, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् वह खंड (i) में निर्दिष्ट दशा में यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के आदेश द्वारा और खंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रतिसंहृत नहीं कर दी जाती।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखाओं को तैयार करना और राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधान सभाएं है उनके प्रशासकों को भेजना।

11. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने द्वारा या सरकार द्वारा या उस निमित्त जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित किये गये लेखाओं से, हर वर्ष, संबद्ध शीर्षकों के अधीन संघ के प्रत्येक राज्य के और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, प्रयोजनों के लिए, वार्षिक प्राप्तियां और संवितरण दिखाने वाले लेखे (जिनके अंतर्गत, उसके द्वारा संकलित लेखाओं की दशा में, विनियोग लेखे भी है), तैयार करेगा और उन लेखाओं को यथास्थिति, राष्ट्रपति को या राज्यपाल या जिस संघ राज्यक्षेत्र में विधान सभा है, उसके प्रशासक को ऐसी तारीखों को या उनके पूर्व जो वह संबद्ध सरकार की सहमति से अवधारित करे, भेजेगाः

परन्तु राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसे संघ के अथवा ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों से संबंधित लेखे तैयार करने और भेजने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

परन्तु यह और कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसे उस राज्य के प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों से संबंधित लेखे तैयार करने और भेजने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर सकेगा।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ और राज्यों को जानकारी देना और उनकी सहायता करना

12. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, जहां तक कि वह उन लेखाओं से जिनके संकलन या रखे जाने के लिये वह जिम्मेदार है समर्थ हो, यथास्थिति, संघ सरकार को, राज्य सरकारों को और उन संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को जिनमें विधान सभाएं है ऐसी जानकारी देगा जिसकी वे समय-समय पर अपेक्षा करें और उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में ऐसी सहायता करेगा जिसकी वे उचित रूप से मांग करे।

लेखापरीक्षा के संबंध में साधारण प्रावधान

13. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किये गये व्यय की लेखापरीक्षा करे और यह अभिनिश्चित करे कि क्या वे धनराशियां जो लेखाओं में संवितरित की गई दिखाई गई है, उस सेवा या प्रयोजन के लिये जिसके लिये वे लागू की गई या प्रभावित की गई है वैध रूप से उपलब्ध या लागू थीं और क्या वह व्यय उसे शासित करने वाले प्राधिकार के अनुरूप है;

(ख) आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं के संबंध में संघ और राज्यों के सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करे;

(ग) संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करे/और हर एक दशा में अपने द्वारा इस प्रकार लेखापरीक्षित व्यय, संव्यवहारों या लेखाओं की बाबत रिपोर्ट दे।

संघ या राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा

14. (1) जहां किसी निकाय या प्राधिकरण का पर्याप्त वित्तपोषण भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से अनुदानों या उधारों से किया जाता है, वहां नियंत्रक-महालेखपरीक्षक, यथास्थिति, उस निकाय या प्राधिकरण को लागू तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा करेगा और इस प्रकार अपने द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय की बाबत रिपोर्ट देगा।

स्पष्टीकरण: - जहां भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किसी निकाय या प्राधिकरण को दिया गया अनुदान या उधार किसी वित्तीय वर्ष में पचीस लाख[5] रूपये से कम नहीं है और ऐसे अनुदान या उधार की रकम उस निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है, वहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह समझा जाएगा कि उस निकाय या प्राधिकरण का पर्याप्त वित्तपोषण, यथास्थिति, ऐसे अनुदानों या उधारों से किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से किसी निकाय या प्राधिकरण को, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को, यथास्थिति भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से किसी वित्तीय वर्ष में दिए गए अनुदान या उधार एक करोड़ रूपये से कम नहीं है, वहां सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा कर सकेगा।

(3) जहां किसी निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय, की उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों की पूर्ति के फलस्वरूप, किसी वित्तीय वर्ष में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है वहां वह उस निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा इस बात के होते हुए भी दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक करता रहेगा कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें उन दो बाद के वर्षों में से किसी के दौरान पूरी नहीं की जाती है।

[5] 1984 में संशोधन से पहले यह पाँच लाख रूपये था।

अन्य प्राधिकरणों या निकायों को दिये गए अनुदानों या उधारों की दशा में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्य

15. (1) जहां भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में से कोई अनुदान या उधार किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय को दिया जाता है जो विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है वहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेगा जिनसे मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उन शर्तों की पूर्ति के बारे में अपना समाधान करता है जिनके अधीन ऐसे अनुदान या उधार दिये गए और इस प्रयोजन के लिये उसे, उस प्राधिकरण या निकाय की बहियों और लेखाओं तक, उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात् पहुंच का अधिकार होगाः

परन्तु यदि, यथास्थिति, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, प्रशासक की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा उसे ऐसे अनुदान या उधार प्राप्त करने वाले किसी निकाय या प्राधिकरण की बाबत कोई ऐसी संवीक्षा करने से अवमुक्त कर सकेगा।

(2) उस दशा के सिवाय जबकि वह, यथास्थिति, राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, उस समय जबकि वह उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किसी ऐसे निगम की, जिसे कोई ऐसा अनुदान या उधार दिया जाता है जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार नहीं होगा यदि वह विधि, जिसके द्वारा या जिसके अधीन ऐसा निगम स्थापित किया गया है ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से भिन्न किसी अभिकरण द्वारा किये जाने का उपबन्ध करती है।

परन्तु ऐसा कोई प्राधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं कर लिया जाता और जब तक संबद्ध निगम को उसकी बहियों और लेखाओं तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पहुंच का अधिकार देने की प्रस्थापना की बाबत अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

संघ की या राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

16. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करे जो भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में संदेय है, और अपना समाधान कर ले कि उस बारे में सभी नियम और प्रकियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आंवटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है

और इस प्रयोजन के लिये लेखाओं की ऐसे परीक्षा करें जो वह ठीक समझे और उनकी बाबत रिपोर्ट दे।

भण्डारों और स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा

17. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भण्डारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा।

लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां

18 (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार होगा कि वह-

(क) संघ के या किसी राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे जिसके अंतर्गत खजाने और प्रारम्भिक या सहायक लेखाओं को रखने के लिये जिम्मेदार ऐसे कार्यालय भी है, जो उसे लेखे भेजते है;

(ख) यह अपेक्षा करे कि कोई लेखे, बहियां, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से संबंधित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाऐ जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे;

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछे या ऐसी टीका-टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उसे किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है।

(2) किसी ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिये सभी सुविधाएं देगा और जानकारी के लिये किए गए अनुरोधों की यथासम्भव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूर्ति करेगा।

सरकारी कम्पनियों और निगमों की लेखापरीक्षा

19. (1) सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों के (जो कंपनियां न हों) लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(3) किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा है, का प्रशासक, जब उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकेगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के

विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया है तब, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के लेखाओं और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगाः

परंतु ऐसा कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं कर लिया जाता और जब तक निगम को ऐसी लेखापरीक्षा की प्रस्थापना की बाबत अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखाओं के संबंध में रिपोर्टों का रखा जाना

19 क (1) धारा 19 में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें सरकार को या संबंधित सरकारों को प्रस्तुत की जाएंगी।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगी।

स्पष्टीकरणः - इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसे किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है "सरकार" या "राज्य सरकार " से उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

कतिपय प्राधिकरणों या निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

20. (1) धारा 19 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगाः

परन्तु ऐसा कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं कर लिया जाता।

(2) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक से किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण के, जिसके लेखाओं की लेखापरीक्षा उसे विधि द्वारा नहीं सौंपी गई है, लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकृत करने की प्रस्थापना उस दशा में कर सकेगा जब उसकी यह राय हो कि ऐसी लेखापरीक्षा इस कारण आवश्यक है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र

की, जिसमें विधान सभा है, सरकार द्वारा, ऐसे निकाय या प्राधिकरण में पर्याप्त रकम विनिहित की गई है या उसे उधार दी गई है, और, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक ऐसा अनुरोध किये जाने पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को तब तक नहीं सौंपी जाएगी जब तक, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक का समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है और जब तक संबद्ध निकाय या प्राधिकरण को ऐसी लेखापरीक्षा की प्रस्थापना के बारे में अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

अध्याय 4
विविध

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति का प्रत्यायोजन

21. इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कोई भी शक्ति उसके विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी जिसे वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे:

परंतु उस दशा के सिवाय जब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक छुट्टी पर हो, या अन्यथा अनुपस्थित हो, कोई भी अधिकारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से किसी ऐसी रिपोर्ट को भेजने के लिये प्राधिकृत नहीं होगा जिसे, यथा स्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक को भेजने के लिये नियंत्रक-महालेखपरीक्षक संविधान द्वारा या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम (1963 का 20) द्वारा अपेक्षित है।

नियम बनाने की शक्ति

22. (1) केन्द्र सरकार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों को, जहां तक वे लेखाओं के रखे जाने से संबंधित हैं, कार्यान्वित करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिये या उनमें से किसी के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थातः-

(क) वह रीति जिसमें लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को लेखे देने वाले खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रारम्भिक और सहायक लेखे रखे जाएंगे;

(ख) वह रीति जिसमें संघ के या किसी राज्य के या ऐसी किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार के लेखे, जिनकी बाबत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखे संकलित करने या रखने की जिम्मेदारी से अवमुक्त कर दिया गया है, संकलित किये जाएंगे या रखे जाएंगे;

(ग) वह रीति जिसमें, यथास्थिति, संघ के या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग के भंडारों या स्टॉक के लेखे रखे जाएंगे;

(घ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिये रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो, तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

23. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों को, जहां तक वे लेखापरीक्षा की परिधि और विस्तार के संबंध में है, जिनके अंतर्गत सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिये सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धांत और प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा के बारे में सामान्य सिद्धांत भी है, कार्यान्वित करने के लिये विनियम बनाने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

ब्यौरेवार लेखापरीक्षा से अभिमुक्त करने की शक्ति

24. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि जब भी परिस्थितियों से ऐसा युक्तिसंगत हो, वह किन्हीं लेखाओं या किन्हीं वर्गो के संव्यवहारों की ब्यौरेवार लेखापरीक्षा के किसी भाग से अभिमुक्ति प्रदान कर दे और ऐसे लेखाओं या संव्यवहारों के सम्बन्ध में ऐसी सीमित जांच पड़ताल लागू करे जो वह अवधारित करे।

निरसन

25. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम, 1953 (1953 की सेवा-शर्ते 21) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

शंकाओं का निराकरण

26. शंकाओं के निराकरण के लिये घोषित किया जाता है कि इस अधिनियिम के प्रारंभ होने पर भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथानुकूलित भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखे) आदेश, 1936, किसी ऐसी बात या कार्रवाई के सिवाय, जो उसके अधीन की जा चुकी है, प्रवृत्त नहीं रहेगा।

4

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 में संशोधन

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में चार बार अर्थात् 1976, 1984, 1987 और 1994 में संशोधन किया गया है। संशोधनों की सूची नीचे दी गई है:

I नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 1976 का सं. 45-एफ

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन के लिए एक अतिरिक्त अधिनियम।

भारत के गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियम निम्नानुसार है:-

1. (1) इस अधिनियम को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976[6] कहा जा सकता है।

   (2) इसे मार्च 1976 के प्रथम दिवस से लागू माना जाएगा।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971[8] (जिसे यहां बाद में मुख्य अधिनियम कहा गया) की धारा 10[7] में, उप-धारा (1) में-

   (क) पहले परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुकों को इनसे बदला जाए:-

   "बशर्ते राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद उन्हें संकलन की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता है-

   (i) संघ के कथित लेखे (एक बार या क्रमवार कई आदेश जारी कर के); या

   (ii) किसी विशेष सेवा या संघ के विभागों के लेखे:

   आगे प्रावधान किया जाता है कि एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के बाद आदेश के द्वारा उसे निम्नलिखित के संकलन के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है:-

---

[6] लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ

[8] 1971 का 56

[7] धारा 10 में संशोधन

(i) राज्य के कथित लेखे (कुछ आदेशों को एक बार अथवा क्रमवार जारी करके) अथवा

(ii) राज्य की किन्ही विशिष्ट सेवाओं अथवा विभागों के लेखे के

(ख) दूसरे परन्तुक में "आगे प्रावधान किया गया है" शब्दों के लिए "भी प्रावधान किया गया" शब्द बदला जाना चाहिए।

3. मुख्य अधिनियम[9] की धारा 11 में:-

(क) "इसकी ओर से किसी और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा" शब्दों के लिए, "सरकार द्वारा या उसकी ओर से उत्तरदायी कोई और व्यक्ति" द्वारा शब्द को बदला जाना चाहिए।

(ख) निम्नलिखित परन्तुकों को अन्त में शामिल किया जाना चाहिए, नामतः

प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के बाद, उन्हें आदेश द्वारा संघ या केन्द्र शासित प्रदेश जिसकी विधान सभा है के वार्षिक प्राप्तियों और वितरणों से संबंधित लेखाओं को तैयार और प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है:

आगे प्रावधान किया जाता है कि एक राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ और नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के बाद, उसे आदेश द्वारा राज्य के वार्षिक प्राप्तियों और वितरणों से संबंधित लेखों की तैयारी और प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है।

4. मुख्य धारा के खंड 22[10] में

(क) उप धारा (2) के खण्ड (ख) में, शब्दों के बाद, "संघ या किसी राज्य के या के" "लेखाओं के" शब्द शामिल किया जाएगा;

(ख) उप धारा (3) में, "दो क्रमिक सत्रों में" शब्दों के लिए, "दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में" शब्द और "सत्र जिनमें इसे प्रस्तुत किया गया या इसके तुरन्त बाद के सत्र में" शब्दों को "सत्र के तुरन्त बाद के सत्र या उक्त क्रमिक सत्र" शब्दों से बदला जाए।

5. (1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976[11] को इसके द्वारा निरस्त[12] कर दिया गया है।

---

[9] धारा 11 का संशोधन

[10] धारा 22 का संशोधन

[11] 1976 का 1

[12] निरस्त और संचित

(2) ऐसे निरसन के बावजूद भी मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत कुछ भी किया गया या कोई कार्यवाही की गई, जैसा कि कथित अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

II. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1984

1984 की संख्या 2

(16 मार्च, 1984)

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में आगे संशोधन के लिए अधिनियम।

गणतंत्र के पैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियम निम्नानुसार है:

1. यह अधिनियम नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधित अधिनियम, 1984 माना जाएगा।
2. नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में (इसके आगे मुख्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) उप धारा 6 के बाद धारा 6 में निम्नलिखित उप धारा को जोड़ा जाएगा नामत:

(6क) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी एक व्यक्ति उप-धारा में निर्दिष्ट (1) जो कार्यालय का पदत्याग करता है (उप-धारा (8) में निर्दिष्ट किसी तरीके से या पदत्याग से) जैसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने के बाद नियंत्रक महालेखापरीक्षक पर ऐसे पदत्याग करने पर निम्न का हकदार होगा:-

(क) जिस सेवा से वह संबंधित है उसके नियमों के अन्तर्गत पेंशन का हकदार होगा क्योंकि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा को पेंशन के लिए अनुमोदित ऐसी सेवा माना जायेगा

(ख) नियंत्रक महालेखापरीक्षक के रूप में प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए सात सौ रूपये प्रति वर्ष की एक विशेष पेंशन;

बशर्ते कि इस उप धारा के खंड (क) और खंड (ख) के अन्तर्गत देय राशियों के कुल, किसी भी मामले में बीस हजार और चार सौ रूपये प्रति वर्ष से अधिक नही होंगे।

(6ख) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में निहित किसी तथ्य के बावजूद, उप धारा (3) में संदर्भित कोई व्यक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1984, के प्रारम्भ होने के बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में जो कार्यालय पदत्याग करेगा (उप-धारा (8) में निर्दिष्ट किसी तरीके से या पदत्याग द्वारा) ऐसे पदत्याग पर, हकदार होगा:-

(क) सरकार के अन्तर्गत किसी पिछली सेवा के संबंध में देय पेंशन; और

(ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्व वर्ष के संबंध में सात सौ रूपये प्रति वर्ष की विशेष पेंशन।

बशर्ते कि इस उप धारा के खंड (क) और खण्ड (ख) के अन्तर्गत उसे देय कुल राशि किसी भी मामले में प्रति वर्ष बीस हजार चार सौ रूपये से अधिक नहीं होगी और ऐसी राशि में सभी अन्य पेंशन सम्मिलित होगी, यदि कोई हो तो, उसे देय और उसके पेंशन का रूपांतरित भाग यदि कोई हो तो, उसे देय होगा।

3. मुख्य अधिनियम की धारा 14 को उप धारा (1) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा और

(क) उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में जैसा कि पुनः अंकित किया जाएगा

(i) 'रूपये पाँच लाख' , शब्दों के लिए, रूपये पच्चीस लाख' में बदला जाएगा।

(ii) ''इस धारा'' शब्दों के लिए 'इस उपधारा' में बदला जाएगा।

(ख) उप धारा (1) के बाद, जैसा कि पुनः अंकित किया गया निम्नलिखित उप धारा को सम्मिलित किया जाएगा, नामत:-

(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के बावजूद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या विधायिका वाले संघ शासित प्रदेश के प्रशासक के किसी निकाय या प्राधिकार जहाँ भारत या किसी राज्य या किसी विधायिका वाले संघ शासित प्रदेश की समेकित निधि जैसा भी मामला हो, का अनुदान या ऋण जो एक करोड़ से कम ना हो, की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा कर सकता है।

(3) जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियाँ एवं व्यय एक वित्तीय वर्ष में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित उप धारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने का आधार है, वह अगले दो वर्षों की अवधि के लिए उस निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों एवं व्ययों की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को आगामी दो वर्षों में पूरा न करने की स्थिति के बावजूद लेखापरीक्षा जारी रखेगा।

4. मुख्य अधिनियम की धारा 19 के बाद निम्नलिखित धारा को समाविष्ट किया जाए नामत:

19 क (1) धारा 19 में संदर्भित सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों को सरकार या संबंधित सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) केन्द्र सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात जल्द से जल्द संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(3) राज्य सरकार इसके द्वारा उप धारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात जल्द से जल्द राज्य के विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण, इस खंड के संदर्भ में विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेश के संबंध में सरकार या राज्य सरकार का आशय संघ शासित प्रदेश के प्रशासक से है।

III. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1987

1987 की संख्या 50

(16 दिसम्बर, 1987)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 में संशोधन हेतु एक अतिरिक्त अधिनियम।

भारत के गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया गया है:-

1. इस अधिनियम को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1987[13] कहा जाएगा।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम[14] 1971 (जिसे बाद में मुख्य अधिनियम कहा गया), धारा 6[15] में,-

(क) उपधारा (6क) एवं (6ख) में, परन्तुकों को हटाया जाए और इसे 1 जनवरी 1986 से हटाया गया माना जाएगा।

(ख) उपधारा (6ख) के बाद, निम्नलिखित उपधाराओं को समाविष्ट किया जाएगा, नामत:

"इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में निर्दिष्ट (6ग) के बावजूद एक व्यक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम के आरंभ होने के बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यालय से पदत्याग करता है (उपधारा 8 में निर्दिष्ट किसी एक तरीके से या पदत्याग द्वारा)।

[13] लधु शीर्ष

[14] 1971 का 56

[15] धारा 6 में संशोधन

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और [1987 का 50] सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम 1987, ऐसे पदत्याग पर हकदार होगा:-

(क) पेंशन जोकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन के बराबर हो;

(i) यदि ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अनुसूची (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1958 (जिसे बाद में इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया) के भाग III के प्रावधानों के अनुसार उप धारा (1) या उप धारा (3) में संदर्भित है जिसे समय समय पर संशोधित किया गया; और

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची के भाग I के प्रावधानों के अनुसार उप धारा (4) में संदर्भित है जिसे समय समय पर संशोधित किया गया।

(ख) ऐसी पेंशन (पेंशन के रूपांतरण सहित), पारिवारिक पेंशन एवं उपदान, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमत है, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया हो।

3. मुख्य अधिनियम की धारा 7 को छोड़[16] दिया जाए।

4. मुख्य अधिनियम की धारा 9[17] में प्रांरभिक पैराग्राफ के लिए, निम्नलिखित को बदला जाए, नामत:

"अधिनियम में अन्यथा प्रदान, यात्रा भत्ता, किराया सहित आवास एवं छूट का प्रावधान, ऐसे किराया रहित आवास के मिलने पर आय कर भुगतान वाहन की सुविधाएं, आतिथ्य भत्ता, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित सेवा की शर्तें और सेवा की ऐसी शर्तें जो कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अध्याय IV और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर कुछ समय के लिए लागू हैं, को जैसा भी मामला हो, सेवारत या सेवानिवृत्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पर लागू होंगे।"

---

[16] धारा 7 को छोड़ देना

[17] धारा 9 का संशोधन

IV.

नियंत्रक महोलखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1994

1994 की संख्या 51

(26 अगस्त 1994)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 में आगे संशोधन का अधिनियम

भारत के गणराज्य के पैतालिसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया गया है:

1. (1) इस अधिनियम को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1994 कहा जाए।

   (2) इस अधिनियम की धारा 2 को मार्च 1990 के 27वें दिन से लागू माना जाएगा और उसकी धारा 3 को दिसम्बर 1987 के 16वें दिन से लागू माना जाएगा।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (यहाँ पर मुख्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में, परन्तुक में:-

   (i) खण्ड (ख) में अंत में आया "और" को हटा दिया जाए;

   (ii) खण्ड (ग) को हटा दिया जाए।

3. मुख्य अधिनियम की धारा 6 में, उप-धारा 6(ग) के बाद, निम्नलिखित उप धारा का निवेशन किया जाए:-

> "(6घ) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में निहित के बावजूद एक व्यक्ति जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में दिसम्बर 1987 के 16वें दिन से किसी भी समय पहले, कार्यालय से पदत्याग करता है (उप धारा 8 में निर्दिष्ट किसी तरीके या त्यागपत्र से.), उस तिथि से उप धारा (6ग) में निर्दिष्ट पेंशन का हकदार होगा।"

5 महत्वपूर्ण निर्णय

I. अरविंद गुप्ता बनाम भारत सरकार

(2013) सर्वोच्च न्यायालय मामले 293

माननीय न्यायाधीश आर.एम.लोधा तथा अनिल आर.दवे, न्यायाधीश के समक्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा करने हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत इस मामले में, याचिकाकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने की शक्ति नहीं है तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करने वाले नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत तय किए गए लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियम, 2007 के प्रावधान संविधान का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता जिसके साथ सरकार ने अपने संसाधनों का प्रयोग किया है, की जाँच करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकार 1971, अधिनियम में अन्तर्निहित हैं। विनियमों के अन्तर्गत तैयार की गई निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों को तदनुसार देखना होगा। न्यायालय ने विनियमों में कोई असंवैधानिकता नहीं देखी।

<u>निर्णय के उद्धरण</u>

रिट याचिका (सी) संख्या 2012 की 393, अक्टूबर 1, 2012 को निर्णीत

1. हमने श्री संतोष पाल, याचिकाकर्ता के प्रबुद्ध अधिवक्ता, को सुना। याचिकाकर्ता के प्रबुद्ध अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) के पास निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने की कोई शक्ति नहीं है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करने वाले नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत तय किए गए लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियम, 2007 (संक्षेप के लिए 'विनियमों') संविधान का उल्लंघन है।

2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 प्रावधान करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ एवं राज्यों एवं किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय जैसा कि संसद द्वारा बनाए किसी कानून के अन्तर्गत निर्धारित किया गया हो, के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन एवं ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा। संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत अधिनियम 1971 बनाया गया। अधिनियम 1971 के अन्य प्रावधानों में से धारा 16 प्रावधान करती है कि:

" 16 संघ अथवा राज्यों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा-सभी प्राप्तियां जो भारत और प्रत्येक राज्य के और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र जहां विधान सभा है, की समेकित निधि में देय है, की लेखापरीक्षा करना नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा और स्वयं को संतुष्ट करना कि राजस्व के आकलन, संग्रहण तथा उचित आबंटन पर एक प्रभावशाली नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए इस निमित्त नियम एवं प्रक्रियाएं बनाई गई हैं तथा उचित रूप से पालन किया जा रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए लेखाओं की ऐसी जांच करना, जैसा वह ठीक समझें एवं उन पर रिपोर्ट देना।

3. मितव्ययिता, **दक्षता तथा प्रभावकारिता जिसके साथ सरकार ने अपने संसाधनों का प्रयोग किया है, की जाँच करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकार 1971 अधिनियम में अन्तर्निहित हैं। विनियमों के अन्तर्गत तैयार की गई निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों को तदनुसार देखना होगा। न्यायालय ने विनियमों में कोई असंवैधानिकता नहीं देखी। इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद 151 प्रावधान करता है कि केन्द्र के लेखाओं से संबंधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएँगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा तथा एक राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएँगी, जो उन्हें राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखेगा। अतः लेखापरीक्षा रिपोर्टें जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं संसद अथवा राज्य के विधान मंडल, अथवा जैसा भी मामला हो, द्वारा संवीक्षा के अधीन है।**

4. रिट याचिका पूरी तरह से गलत है एवं तदनुसार रद्द की जाती है।

II. रघुनाथ केलकर बनाम भारत सरकार एवं अन्य

बम्बई उच्च न्यायालय में

2008 की जनहित याचिका संख्या 40

निर्णीत: 24.03.2009

(माननीय न्यायाधीश/बैंच: स्वतंत्र कुमार, मुख्य न्यायाधीश एवं डी.वाई. चन्द्रचूड, न्यायाधीश)

लेखापरीक्षा के समय, कार्यक्षेत्र एवं सीमा के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां

बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत इस मामले में, एक व्यापक लेखापरीक्षा करने में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विफलता के बारे में एक आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 23 के कार्यक्षेत्र पर विचार किया। न्यायालय ने देखा कि लेखापरीक्षा का समय, कार्यक्षेत्र एवं सीमा वे सभी मामले हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आते हैं तथा यह ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायालय को तय करना चाहिए।

<u>निर्णय का उद्धरण</u>

9. जहां तक याचिका के याचना खण्ड (ख) का सम्बन्ध है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तरफ से एक शपथपत्र फाइल किया गया जिसमें यह कहा गया है कि बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्ति एवं संवितरण को विधिवत रूप से प्राप्ति एवं व्यय बजट में शामिल किया गया है जो संसदीय नियंत्रण का विषय है। वित्त मंत्रालय का लेखा एवं भारत सरकार के विनियोजन लेखा की नियमित अंतराल पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं सीमा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करके अपने निष्कर्ष संसद को सूचित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बाजार स्थिरीकरण योजना द्वारा नकदी के बंध्यीकरण से संग्रहीत निधि भारत की समेकित निधि का हिस्सा बनती है, अतः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई मानी जाएगी।

10. हालांकि, याचिकाकर्ता सूचना का अधिकार, अधिनियम के तहत एक प्रश्न से प्राप्त प्रतिक्रिया के ऊपर विश्वास करता है जिसमें 19 जून, 2008 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यह बताया गया है कि 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार की उधारियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा नहीं की गई थी न ही उसके तहत उधार ली गई निधि के अमल की कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा हुई थी। सूचना के लिए इस प्रश्न के उत्तर में कि 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत उधारियों अथवा निधियों के अमल के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा नहीं की गई, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते के सम्बन्ध में कोई लेखापरीक्षा नही की गई है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में नही आते, हमारे विचार में यह उससे अलग नहीं है जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तरफ से फाइल किए गए शपथपत्र में कहा गया है। शपथपत्र प्रकट करता है कि अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं सीमा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है तथा वित्त मंत्रालय के लेखाओं के साथ-साथ भारत सरकार के विनियोजन लेखा की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियमित अंतराल पर की जाती है। **लेखापरीक्षा का समय, कार्यक्षेत्र तथा सीमा वे सभी मामले हैं, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आते हैं तथा निश्चित रूप से यह ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायालय को नियत करना चाहिए। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना की गई है एवं निस्संदेह यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विचार करना है कि क्या एवं किस सीमा तक एक विशिष्ट लेखापरीक्षा की जानी है।**

III. नेशनल डेयरी डेवलेपमेन्ट बोर्ड बनाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिल्ली उच्च न्यायालय में

1998 की डब्ल्यू.पी. (सिविल) 4834

निर्णीत:27.01.2010

(माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष)

लेखापरीक्षा करने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियां

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत इस मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 19 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ता ने एनडीडीबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए अधिनियम 1971 की धारा 14(2) के अन्तर्गत शक्तियों के आह्वान एवं उपयोग करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्राधिकार को चुनौती दी थी, जो इसके अपने अधिनियम अर्थात् एनडीडीबी अधिनियम, 1987 द्वारा अधिशासित है तथा जिसमें किसी अन्य कानून पर एनडीडीबी अधिनियम के अधिभावी प्रभाव का प्रावधान है। न्यायालय ने निम्नलिखित पूर्वसर्ग निर्धारित किए:

(i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम सामान्य अधिनियम से अलग एक विशेष अधिनियम है।

(ii) धारा 14 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति को निकाय अथवा प्राधिकरण पर लागू किसी कानून के तहत कम, नियमबद्ध अथवा प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।

(iii) धारा 14(2) एक स्वतंत्र धारा है जो उपरोक्त धारा में दर्शाई गई शर्तों के एक बार पूरा हो जाने पर लागू होगी तथा यह तथ्य कि निकाय अथवा प्राधिकरण धारा 14(1) के तहत लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हो सकता, अप्रासंगिक है।

(iv) धारा 15 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अनुदान/ऋण संस्वीकृत करते समय उचित उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था, मंजूरीदाता प्राधिकारी के लेखाओं/अभिलेखों की संवीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है।

(v) धारा 15 एवं धारा 14(2) स्वतंत्र धाराएँ हैं एवं तभी संचालित होती हैं जब इनमे दर्शाई गई पूर्व शर्ते पूरी हों। धारा 15 को धारा 14(2) के उल्लंघन के लिए अथवा विलोमत: नहीं पढ़ा जा सकता।

(vi) धारा 19 के प्रावधान स्पष्टीकारक प्रवृति के हैं। धारा 19(2) धारा 14(2) के प्रावधानों एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नही करती। धारा 19(2) संसद द्वारा बनाए गए कानून, जिसके द्वारा निगमों को स्थापित किया गया है, के तहत उनके लेखाओं की

लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को दी गई शक्ति एवं अधिकार की रक्षा करती है। इसका अर्थ है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 14(1), 14(2) अथवा 15 के तहत किसी निगम के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा कर सकता है, जब संबंधित कानून के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती है।

IV. अरूण कुमार अग्रवाल बनाम भारत सरकार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

2012 की डब्ल्यू.पी. (सिविल) 469

निर्णीत: 09.05.2013

(माननीय न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन तथा न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष)

राहत प्रदान करने अथवा कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक आधार के रूप में

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करने अथवा कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमेशा संसद द्वारा संवीक्षा का विषय होती है एवं यह संसद को निर्णय करना है कि क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करनी है।

निर्णय का उद्धरण

हमने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, पीएसी की भूमिका तथा सदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का संदर्भ लिया, केवल यह दर्शाने के लिए कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमेशा संसद द्वारा संवीक्षा का विषय है तथा सरकार हमेशा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है।

इस मामले में विचार के लिए मूल प्रश्न है कि, क्या यह न्यायालय केवल नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास करके राहत प्रदान कर सकता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमेशा संसदीय बहस का विषय है तथा यह संभव है कि पीएसी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर मंत्रालय की आपत्ति को स्वीकार करे अथवा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अस्वीकार करे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, निर्विवाद रूप से एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है, तथापि यह संसद को निर्णय करना है कि क्या रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात अर्थात पीएसी को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करनी है।

हालाँकि, हम कह सकते हैं कि चूँकि रिपोर्ट एक संवैधानिक अधिकारी द्वारा निर्मित है, यह आदरणीय है तथा इस प्रकार एक किनारे नहीं की जा सकती, परन्तु उन टिप्पणियों, जो सम्बन्धित मंत्रालयों ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रस्तुत की हैं, की जाँच करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। मंत्रालय हमेशा बता सकता है, यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई गलती है अथवा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने विभिन्न मुद्दों पर अनुचित रूप से सराहना की है।

V. श्री एस. सुब्रह्मण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार तथा अन्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

2013 की सिविल अपील 5130

निर्णीत: 25.07.2013

(माननीय न्यायाधीश पी. सदाशिवम तथा न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष)

व्यय की जाँच के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत इस मामले में, याचिकाकर्ता ने याचना की कि व्ययों का परिनियोजन करने से पूर्व ही उनकी जाँच करना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य है।

विभिन्न मुद्दों पर विचार करते समय न्यायालय ने देखा कि वैधानिक नियंत्रण के अतिरिक्त, संविधान के निर्माताओं ने विधानमंडल से अलग एक एजेन्सी के माध्यम से सरकारी लेखाओं तथा व्यय पर एक जाँच करना उचित समझा। अनुच्छेद 148 ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में एक संवैधानिक पदाधिकारी सृजित किया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय का औचित्य, वैधता तथा मान्यता की जाँच करता है तथा सरकारी लेखाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है।

निर्णय का उद्धरण

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया एक संवैधानिक पदाधिकारी है। उसका मुख्य कार्य सरकार, सरकारी निकायों तथा राज्य-चालित निगमों की आय तथा व्यय की लेखापरीक्षा करना है। उसके कर्तव्यों की सीमा को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 मे सूचीबद्ध किया गया है। सरकार की कार्यप्रणाली को संविधान, स्थानीय कानूनों, विधानमंडल तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय के औचित्य, वैधता तथा मान्यता की जाँच करता है। **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद ही इन पर किए गए व्यय तथा सरकारी लेखाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। परिणामस्वरूप, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय किए जाने के पश्चात ही शुरू होता है।**

6

<u>भारत सरकार के अनुदेश</u>

फाइल सं. 6(5)-बी (आर)/99
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामला विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली 13 जून, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा

यह स्पष्टीकरण माँगा गया है कि क्या निष्पादन लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है।

2. सरकार ने मामले पर विचार किया है। कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास लेखापरीक्षा के मामलों और कार्यक्षेत्र से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियमित करने की शक्तियाँ हैं। इन प्रावधानों के अनुपालन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों/सिद्धांतों/विनियमों पर आधारित वित्तीय लेखापरीक्षाओं और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षायें आयोजित करता है। संवैधानिक अनिवार्यता के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टें संसद और राज्य विधान मंडल जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

3. इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा जो लोक निधियों की प्राप्ति और अनुप्रयोग में मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभाविता की लेखापरीक्षा से संबंधित है इसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पहले से ही विद्यमान निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंदर माना जाता है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से तदनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी लेखापरीक्षाओं के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा सहित लेखापरीक्षाओं के आयोजन में सुविधा

प्रदान करें। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन फा.स.1(43)-बी/78 दिनांक 23 सितम्बर 1978 की ओर मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कि बिना किसी आंशका के लेखापरीक्षा हेतु कार्यालयी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया और स्थायी अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत फाइलों की अभिरक्षा और सम्भालने के संबंध में उचित देखभाल को स्पष्ट किया गया है।

5. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों और अन्य संस्थाओं को भी तदनुसार सुझाव दिया जाए।

(पी.आर. देवी प्रसाद)
विशेष कार्य अधिकारी (एफआरबीएम)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सचिव (सभी मंत्रालय/विभाग)
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिव
3. वित्तीय सलाहकार (सभी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग)
4. सूचना एवं अभिलेख हेतु प्रतिलिपि:
   i. कैबिनेट सचिवालय एवं
   ii. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

7

व्याख्या

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की व्याख्या

1. प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यों को मुख्यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 के प्रावधानों से लिया गया है। अनुच्छेद 149 में यह व्यवस्था है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाये और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमश: भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्राक्तव्य थी। इन अंतवर्ती उपबन्धों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संसद द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) अधिनियमित किये जाने तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में उन कर्तव्यों का पालन और उन शक्तियों का उपयोग करते रहे हैं जो भारत (अनन्तिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथानुकूलित भारत सरकार (लेखा एवं लेखापरीक्षा) आदेश 1936 द्वारा उपबन्धित की गई थी। अधिनियम जो 15 दिसम्बर 1971 को प्रवृत्त हुआ, 1976, 1984, 1987 और 1994 संशाधित किया गया। अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 148 (3) और 149 के अंतर्गत बनाया गया एक व्यापक विधान है।यह (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें (ख) संघ, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य प्राधिकरणों तथा निकायों के लेखाओं के संबंध में उसके कर्तव्य और शक्तियों को वर्णित करता है।

राज्य विधानमंडल का कोई भी नियम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा उसके प्रतिनिधियों को किसी कर्तव्य या शक्तियों के निर्वहन से नहीं रोक सकता। इसी प्रकार संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा निर्धारित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों को राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन संकुचित या अधिक्रमित नहीं किया जा सकता।

2. लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 10 से 12 तक संघ, राज्यों और विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लेखाओं के संकलन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व से संबंधित है।

धारा 10(1) का पहला प्रन्तुक राष्ट्रपति को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद उसे आदेश द्वारा निम्नलिखित के संकलन के उत्तरदायित्व से मुक्त करने का प्राधिकार देता है (i) संघ के लेखों को (या तो तुरन्त या अनेक आदेश जारी करके शनैः शनै), (ii) संघ की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखे। राष्ट्रपति भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद आदेश द्वारा उसे किसी वर्ग या प्रकृति के लेखाओं को रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है।

धारा 10 (1) का दूसरा परन्तुक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद आदेश द्वारा निम्नलिखित के संकलन के उत्तरदायित्व से मुक्त करने का प्राधिकार देता है। (i) राज्य के लेखे (या तो तुरन्त या अनेक आदेश जारी करके शनैः शनैः) और (ii) राज्य की किसी विशिष्ट सेवा या विभाग के लेखे। राष्ट्रपति भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद आदेश द्वारा उसे किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकृति के लेखाओं को रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है।

1976 में, अधिनियम की धारा 10(1) के पहले प्रन्तुक के अधीन शक्तियों के उपयोग में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को (क) जागीर, जमीन आदि के पुनर्ग्रहण के बदले पेंशन (ख) भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग से संबंधित लेखाओं के अलावा संघ सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के लेखाओं के संकलन और रखरखाव के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश को छोड़कर संघ शासित प्रदेशों के लेखाओं को संकलित करने की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया।

जहां तक राज्यों का संबंध है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (क) गोवा राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के लेखाओं का संकलन (ख) आवश्यकतानुसार राज्यों के लेखाओं के संकलन के संबंध में ऐसे लेखाओं को रखना और (ग) उनके विनियोग लेखाओं और वित्त लेखाओं को तैयार करते है।

धारा 10 की उप-धारा (i) का तीसरा प्रन्तुक राष्ट्रपति को किसी विशिष्ट वर्ग और प्रकृति के लेखाओं के रखने के उत्तरदायित्व से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को मुक्त करने का प्राधिकार देता है। इन उपबन्धों के अनुपालन में, राष्ट्रपति ने अनेक आदेश जारी करके राजस्थान, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, बिहार (अब झारखण्ड सहित), पंजाब और सिक्किम में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखाओं के रख-रखाव के उत्तरदायित्व से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को मुक्त कर दिया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से संघ सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के लेखाओं के उत्तरदायित्व के अंतरण की योजना के अंग के रूप में उसे भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग को छोड़कर संघ सरकार के सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखाओं के रख-रखाव के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

धारा 11 राष्ट्रपति को संघ या जिस संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा हो के प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरण (वित्त लेखा) से संबंधित लेखाओं को तैयार और प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उससे परामर्श करने के बाद मुक्त करने का प्राधिकार है। यह राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद राज्य के प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों से संबंधित लेखाओं को तैयार करने और प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को मुक्त करने का प्राधिकार देती है। राष्ट्रपति ने 20 जून 1978 को आदेश जारी किया था। इस आदेश में उन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 1977-78 के आगे से संघ सरकार के वित्त लेखे तैयार करने के उत्तरदायित्व से मुक्त किया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 1988-89 के आगे के लेखाओं से संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के प्रयोजन के लिए वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को संबंधित शीर्ष के अधीन दर्शाते हुए प्रत्येक वर्ष लेखे तैयार करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिये 10 अप्रैल, 1989 को जारी राष्ट्रपति के आदेश को देखें। उसे वर्ष 1988-89 के आगे से गोवा राज्य के प्रयोजन के लिये वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को संबंधित शीर्षों के अधीन दर्शाते हुये लेखाओं को प्रत्येक वर्ष तैयार करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिये 27.06.89 को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से गोवा के राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को देखें। इस तथ्य पर ध्यान

दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त मामलों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्त लेखाओं (संघ) को तैयार करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है परन्तु वह उसे संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है राज्य के वित्त लेखाओं को तैयार करने के उत्तरदायित्व से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को मुक्त करने के लिये राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्तीय विवरण बनाने में संघ सरकार राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को जहां विधान सभा है सूचना देने एवं सहायता प्रदान करने के उत्तरदायित्व से संबंधित है।

3. लेखापरीक्षा से संबंधित कर्तव्य

अधिनियम की धारा 13 से 21, 23 और 24 में लेखापरीक्षा से संबंधित सामान्य प्रावधान में निहित हैं। अधिनियम की धारा 13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह व्यादिष्ट करती है कि वह भारत की, प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की, जिसमें विधान सभा हो, संचित निधि में से कियेगये व्यय की लेखापरीक्षा करने और यह अभिनिश्चित करने संबंधित कार्य को निर्धारित किया गया है कि लेखाओं में संवितरित दिखाया गया धन विधिक रूप से उस सेवा या प्रयोजन के लिये जिसके लिये यह किया गया था प्रभारित किया गया, उपलब्ध या स्वीकार्य था और व्यय उसे नियंत्रित करने वाले प्राधिकार के अनुरूप है या नहीं। व्यय की लेखापरीक्षा व्यापक है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) निधियों के प्रावधान के अनुसार लेखापरीक्षा;
(ख) नियमितता लेखापरीक्षा;
(ग) औचित्य लेखापरीक्षा;
(घ) दक्षता-सह-निष्पादन लेखापरीक्षा और
(ङ) प्रणाली लेखापरीक्षा।

लेखाओं की पूर्णता और यथार्थता की जाँच की जाती है तथा यह देखा जाता है कि वहां उचित वाउचर और भुगतान के साक्ष्य है। निधियों के प्रावधान के अनुसार लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना है कि क्या लेखाओं में संवितरित दिखाया गया धन विधिक रूप से उस सेवा या प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह किया गया या प्रभारित किया गया, उपलभ्य या स्वीकार्य था। संघ सरकार और ऐसे राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारें, जिनके लेखे संबंधित सरकारों द्वारा संकलित किए जाते हैं तथा

रखे जाते हैं, के विनियोग लेखे संबंधित सरकारों द्वारा तैयार किये जाते है तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उनकी लेखापरीक्षा करते है। अन्य राज्य सरकारों के विनियोग लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संकलित और रखे गये लेखाओं से उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया है कि व्यय नियंत्रित करने वाले प्राधिकार के अनुरूप है (नियमितता लेखापरीक्षा)। लेखापरीक्षा के दौरान कार्यकारी की कार्यवाही के औचित्य की भी जाँच की जाती है और व्यय की औपचारिकता से अलग उसके बुद्धिमता, स्वामी भक्ति और मित्तव्ययिता को देखता है और फिजूल खर्च, हानि, अपव्यय और निरर्थक व्यय के मामले विधान मंडल के ध्यान में लाता है और इस प्रकार विवेक के किसी अनुचित प्रयोग को चुनौती देता है और व्यय के औचित्य पर टिप्पणी करता है (औचित्च लेखापरीक्षा)। दक्षता-सह-निष्पादन लेखापरीक्षा विकास शील कार्यक्रमों की प्रगति और दक्षता का व्यापक मूल्यांकन है। इस लेखापरीक्षा में, यह मूल्यांकित और निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाता है कि इस स्तर पर प्राप्त किये जाने वाले सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था और उनकी लागत क्या थी और इसकी जांच की एजेंसी या विभाग अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूर्णरूप से कर रहा है और यह अभिनिश्चित करना कि योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और उनके कार्यों को मितव्ययी ढंग से किया जा रहा है। प्रणाली लेखापरीक्षा में, प्राधिकरण, अभिलेखन, लेखांकरण और आंतरिक नियंत्रण को विनियमित करने वाली संगठन और प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है और गुणों के मानक तथा निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संघ के, राज्यों के और संघशासित क्षेत्र जहां विधान सभा है की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा संबंधित सभी लेनदेनों की लेखापरीक्षा करे और संघ, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में रखे गये सभी व्यापार विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं और तुलन पत्र और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करें।

धारा 13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके द्वारा लेखापरीक्षित व्यय, लेन-देनों या खातों पर रिपोर्ट देने की भी आज्ञा प्रदान करती है।

3.1 सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

सरकार द्वारा संचित निधि में से किया गया व्यय प्राय: विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को अनुदान और ऋण के रूप में दिया जाता है। अधिनियम की धारा 13 के अधीन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे व्यय की लेखापरीक्षा करें। ऐसे व्यय की यह लेखापरीक्षा सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों से की जाती है और अनुदान तथा ऋण की स्वीकार्यता और संस्वीकृति तथा अनुदान तथा कर्ज की शर्तों को पूरा करने के सत्यापन और जिस प्रयोजन के लिए दिये जाते है उनके उपयोग की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व निकाय और प्राधिकरण के अभिलेख अधिकार स्वरूप उपलब्ध नहीं थे और इसी अनुदान और कर्ज के भुगतान के लिए शर्त के रूप में सरकार द्वारा संस्वीकृति के आदेशों में प्रावधान के रूप में सुरक्षित थी।

अधिनियम की धारा 14 और 15 में भारत सरकार या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से अनुदान और कर्ज के रूप में वित्त सहायता प्राप्त करने वाले प्राधिकरणों और निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रावधान किये गये है।

अधिनियम की धारा 14 संघ और राज्य राजस्व से वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। अधिनियम की धारा 15 किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संस्था से बाहर विभागों और एजेंसियों को अनुदान या ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया की संवीक्षा इस बात को ध्यान में रखकर करती है कि कितने विभाग/एजेंसियां स्वयं को संतुष्ट कर पायेंगे कि अनुदान या ऋण जिन शर्तों पर दिया गया था वे पूरी हुई हैं या नहीं, अनुदानों या ऋणों के रूप में अधिकारी या निकायों के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता की लेखापरीक्षा के लिए धारा 14 और 15 में प्रावधान इन कई धाराओं में विशिष्ट निश्चित शर्तों और मानदंडों से संबंधित हैं।

धारा 14(i) के अधीन लेखापरीक्षा करवाने के लिए किसी संस्था के लिए आवश्यक अवयव हैं:

(i) अनुदान और/या ऋण किसी निकाय या प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए।

(ii) अनुदान या ऋण समेकित निधि से अदा किया गया हो।

(iii) स्वायत्त निकाय को धारा में दिए गए निबंधन के अनुसार अनुदान या ऋण द्वारा ''वास्तव में वित्तपोषित'' होने चाहिए।

(iv) निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा होगी।

(v) लेखापरीक्षा निकाय या प्राधिकरण पर लागू समय अनुसार तत्समय प्रवृत की विधि के प्रावधानों के अध्यधीन होगी। उक्त परिच्छेद का यह अर्थ है कि हमारी लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रबंधनों के साथ सहवर्ती होगी और सहायक होगी जिसे कानून में उल्लिखित किया जा सकता है।

(vi) संविधान के अनुच्छेद 149 में उपयोग किए गए शब्द ''निकाय'' और ''प्राधिकरण'', न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, जिसमें इन शब्दों का भी उपयोग किया गया है। जबकि, भारत के महान्यायवादी द्वारा ''अधिकारी'' शब्द को समझाया गया है, जिसका अर्थ है कि संविधान में संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमों में प्रावधानों के आधार पर निहित शक्ति या आदेश का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति या निकाय। उनके द्वारा ''निकाय'' का बताया गया अर्थ है व्यक्तियों का एक समूह, या तो निगमित अथवा अनिगमित। इसलिए ''निकाय'' की अभिव्यक्ति में विशिष्ट विधियों के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के रूप में संस्थापित संस्थाए या संगठन या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में या अन्य विधियां, स्वैच्छिक संगठन या गैर-सरकारी संगठन, शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी या क्लब आदि शामिल होंगे।

(vii) "निकाय" और "प्राधिकरण" शब्द में कंपनी या निगम शामिल हैं। इस प्रकार, यदि कोई कंपनी या निगम अधिनियम की धारा 19(1), 19(2) या 19(3) के अंतर्गत नहीं आती तो, धारा 14(1), 14(2) या 20(2) के अंतर्गत इनकी लेखापरीक्षा की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जा रहा है।

धारा 14 में दूसरी शर्त है कि अनुदान और/या कर्ज संचित निधि से अदा होने चाहिए। जब तब यह स्पष्ट न हो जाये कि मध्यस्थ निकाय अथवा प्राधिकरण सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/कर्ज को देने के लिये केवल एक एजेन्सी थी तब तक ऐसे मामलों को धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये अलग किया जाना चाहिए जिसमें अनुदान या कर्ज किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा अन्य निकाय या प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त होते हैं जो स्वयं केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कर और शुल्क कभी-कभी स्थानीय निकायों को पूर्णतः या अंशतः समनुदेशित और अंतरित किये जाते है। यह निर्णय किया गया कि यदि यह राशि स्थानीय निकायों को विशिष्ट प्रयोजन के लिए अदेय राशि का भुगतान करके उनके व्यय को वित्तपोषण के रूप में दी गई है तो स्थानीय निकायों को किये गये करो के इस हस्तान्तरण को अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अनुप्रयोग के प्रयोजन के लिए अनुदान के रूप में माना जा सकता है। इस समय निकायों को कोई हानियों, क्षतियों आदि की पूर्ति के लिए अदा की गई क्षतिपूरक राशि इस प्रयोजन के रूप नहीं मानी जानी चाहिए।

इस धारा की तीसरी शर्त को उप धारा के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाए। भारत की या राज्य अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की है, की समेकित निधि

से वित्तीय वर्ष किसी निकाय या प्राधिकरण को दिये गये अनुदान या ऋण या दोनों की राशि को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से अग्रेनीत उस निकाय या प्राधिकरण को दिये गये अनुदान या कर्ज की अप्रयुक्त राशि सामूहिक रूप से एक वर्ष में ₹ 25 लाख से कम न हो (1984 में संशोधन से पूर्व यह सीमा ₹ 5 लाख थी) यदि किसी निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम की वित्तीय सहायता के संबंध अन्य प्रावधान भी पूरे होते हैं तो निकाय या प्राधिकरण को इस धारा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कर्जों के मामले में यह बात ध्यान रखी जाए कि केवल "अप्रयुक्त" पर विचार किया जाना चाहिए न कि निकाय प्राधिकरण के सम्पूर्ण बकाया ऋण पर। जब निकाय या प्राधिकरण का लेखा वर्ष (उदाहरणतः सहकारी समितियां) के वित्तीय वर्ष के समरूप नहीं है, तो यह अवधारण करने के संबंध में, कि क्या निकाय या प्राधिकरण धारा 14 के अंतर्गत आते हैं, जांच विशेष निकाय या प्राधिकरण की सामान्य लेखा अवधि के संदर्भ में की जाती है।

धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए चौथी शर्त है कि लेखापरीक्षा केवल अनुदान या ऋण और उसके उपयोग तक ही सीमित नहीं है परन्तु निकाय या प्राधिकरण को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त सभी प्राप्तियों और व्यय को भी इस प्रयोजन के लिए शामिल किया गया है। की जाने वाली लेखापरीक्षा का प्रकार, परिक्षेत्र, प्रकृति और आवधिकता पूर्णतः अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विवेक पर है।

1984 के अधिनियम के संशोधन से जहां उक्त निकाय या प्राधिकरण को संचित निधि से दिया गया अनुदान और/या कर्ज किसी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से कम नहीं है तो किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति/किसी राज्य के राज्यपाल/विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में समर्थ्यकारी उपबन्ध बनाए गए है। इसके लिए धारा 14 की उपधारा (2) देखें।

संशोधन द्वारा किया गया दूसरा परिवर्तन यह है कि धारा 14(3) के अधीन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उप धारा (1) या उपधारा (2) की शर्तों को किन्ही दो अनुवर्ती वर्षों के दौरान पूरा न किये जाने के बावजूद भी आगे के दो वर्ष की अवधि के लिये किसी निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा जारी रखेगा।

अधिनियम की धारा 15 में किन्ही प्राधिकरणों और निकायों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिये दिये गये अनुदान या कर्ज के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस धारा के दो भाग है। प्रथम भाग में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सांविधिक जिम्मेदारी का उल्लेख है ताकि वे उस कार्य विधि की संवीक्षा कर सके जिसके द्वारा भारत या किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किसी प्राधिकरण या निकाय, जो विदेशी राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं हैं को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये अनुदान या कर्ज संस्वीकृति दाता प्राधिकारी उन शर्तों को पूरा करते हैं जिनके अध्यधीन

इस प्रकार के अनुदान या कर्ज दिए गए है। दूसरा भाग उसे निम्नवत कुछ प्रतिबंधों के अध्यधीन ऐसे अनुदान और कर्ज को प्राप्त करने वाले प्राधिकरण या निकाय की बहियों और लेखाओं की जांच का अधिकार देता है।

(i) प्राधिकरण या निकाय एक विदेशी राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है।

(ii) यदि संबंधित राष्ट्रपति/राज्यपाल/प्रशासक के विचार में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके परामर्श से किसी निकाय या प्राधिकरण की कार्यविधियों को उक्त संवीक्षा करने से मुक्त करना लोक हित में आवश्यक हो तो वह उन्हें आदेश द्वारा मुक्त कर सकता है।

(iii) किसी निगम की बहियों और लेखाओं की जांच का अधिकार जहां इसको स्थापित करने वाली विधि (उस विधि के अधीन बनाये गये निगम और विनियम) में व्यवस्था है (जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त या उस विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत ऐसे प्राधिकारी द्वारा) जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महोलखापरीक्षक से इतर एजेन्सी द्वारा की जाती है वहां यह केवल संबंधित राष्ट्रपति/राज्यपाल/प्रशासक के प्राधिकार से की जाएगी। ऐसा प्राधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्व परामर्श के बाद और ऐसे प्रस्ताव के संबंध में संबंधित निगम को अभिवेदन करने का उपयुक्त अवसर देने के बाद किया जाता है।

धारा 15 के प्रावधानों से यह देखा जायेगा कि जहां अपनाई गयी कार्यविधि की जांच करने के प्रयोजन के लिये संस्वीकृति दाता प्राधिकारियों के रिकार्डों की जांच अनिवार्य या सांविधिक कार्य है वहां यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्राधिकरणों और निकायों की बहियां, जिनकी लेखा और बहियां लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के लिये खोली जाती हैं, की आवश्यक रूप से संवीक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त, इस धारा के अधीन की जाने वाली जांच विशिष्ट प्रयोजनों के लिये दिये गये अनुदान या कर्ज से सम्बन्धित है परन्तु बिना किसी शर्त के सामान्य प्रयोजन के लिये दिए गए अनुदान या कर्ज इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। भूमि, भवन, उपस्कर आदि जैसे विशिष्ट मदों के रखरखाव, खरीद/वसूली के लिए दिए गए अनुदान/कर्ज को ऐसे अनुदान/कर्ज को जो कुछ शर्तों के अध्यधीन दिए जाते हैं, घाटे आदि को पूरा करने के लिए दिए गए अनुदान/कर्ज को विशिष्ट प्रयोजन के लिये दिया गया अनुदान/कर्ज माना जाना चाहिये।

यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि धारा 14(1) की धारा तरह धारा 15 में कर्ज/अनुदान की लेखापरीक्षा के परिणामों को विशेषरूप से उल्लिखित करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, अनुदान/ऋण समेकित निधि से व्यय होता है इसलिए सूचना देना अधिनियम की धारा 13 के उपबन्धों के अधीन अविवेचित है।

3.2 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में कर्तव्य और जिम्मेदारियां

अधिनियम की धारा 16 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत, प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में प्रदत्त प्राप्तियों की, लेखापरीक्षा का प्रावधान प्रदान करती है। इसके द्वारा यह भी अपेक्षित है कि वह इस बात की संतुष्टि कर लें कि इसकी तरफ से नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के आकलन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण को बनाये रखने के लिए अभिकल्पित हैं और उनको विधिवत् रूप से देखा जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए ऐसे लेखे की ऐसी जाँच करनी है जैसाकि वह उचित समझे और उस पर रिपोर्ट करे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम के अधिनियमन से पूर्व ही, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा सहमति के आधार पर महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी। भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखा) आदेश, 1936 के पैरा 13(2) के अनुसार, महालेखापरीक्षक किसी प्रांत के गवर्नर जनरल या राज्यपाल के अनुमोदन और अनुरोध पर सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा कर सकेगा।

3.3 भण्डार और स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में कर्तव्य और जिम्मेदारियां

अधिनियम की धारा 17 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ या किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए स्टोर और स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट देने का प्राधिकार प्रदान करती है।

3.4 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में कर्तव्य और जिम्मेदारियां

अधिनियम की धारा 19, की उप धारा 1 में व्यवस्था है कि सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने कर्तव्यों और शक्तियों का कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन और उपयोग किया जाएगा।

इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्रावधान उसकी धारा 617 और 619 (अनुबंध-I) में समाविष्ट है।

कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान कंपनी अधिनियम 2013 ने ले लिया है। इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधान धारा 2(45), 139, 143, 394 और 395 (संदर्भ अनुबंध- II) में दिए गए हैं।

धारा 2(45) एक सरकारी कंपनी को 'एक कंपनी जिसमें अदा की गई शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत से कम नहीं, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है, और एक ऐसी कंपनी को शामिल करता है, जो ऐसी ही किसी सरकारी कंपनी की एक सहायक कंपनी है, के रूप में परिभाषित करती है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 और 143 के अंतर्गतः

(1) सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी जिसका स्वामित्व केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हो, के लेखापरीक्षक को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा,

(2) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निर्देश देंगे कि सरकारी कंपनी के लेखे की लेखापरीक्षा किस ढंग से की जानी अपेक्षित है,

(3) लेखापरीक्षक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश, यदि कोई है, की गई कार्यवाही और कम्पनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव शामिल होंगे।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों; जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तरफ से प्राधिकृत है, द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, और ऐसी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे मामलों पर प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष सूचना या अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है, और ऐसे प्रपत्र में जैसा कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निदेश दे सकता है और उस पर टिप्पणी कर सकता है या ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का पूरक हो सकता है, तो कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति को भेजी जाएंगी और कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में भी प्रस्तुत की जाएंगी,

(5) धारा 139(5) या 139(7) के अन्तर्गत आने वाली किसी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझे तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखाओं की गई लेखापरीक्षा की नमूना जांच करवा सकता है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर लागू होंगे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अंतर्गत

(1) जहां केन्द्र सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, केन्द्र सरकार उस कंपनी की कार्य प्रणाली और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट मांगेगी जिसकी (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों से पूर्व अपनी वार्षिक सामान्य बैठक से तीन महीनों के अंदर ही तैयार की गई और लेखापरीक्षा रिपोर्ट धारा 143(6) के परन्तुक के अंतर्गत प्रस्तुत की जाएगी; और (ख) जैसे ही ऐसी तैयारी

के बाद, लेखापरीक्षा की एक प्रति के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी कर सकते हैं या पूरक कर सकते हैं;

(2) जहां केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कोई भी राज्य सरकार, किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, तो वह राज्य सरकार धारा 394(1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति की मांग करेगी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ धारा 394(1) में संदर्भित लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ की जाएगी या पूरक कर लिया जाएगा। सदन या राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी,

(3) जहां केन्द्र सरकार किसी सरकारी कंपनी का सदस्य नहीं है, प्रत्येक राज्य सरकार (सरकारों) जो उस कंपनी का सदस्य है, कार्य पर तथा कम्पनी के मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएगी (क) धारा 394(1) में वर्णित समय में तैयार किए जाएंगे, तथा (ख) जितनी जल्दी हो सके लेखापरीक्षा रिपोर्ट और टिप्पणियों पर अथवा पूरक की एक प्रति के साथ सदन अथवा राज्य विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष रखने हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उस धारा की उप-धारा (1) में संदर्भित है;

(4) धारा 394 तथा धारा 395 के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, परिसमापन में सरकारी कम्पनी पर लागू होते है जैसाकि वे अन्य किसी सरकारी कम्पनी पर लागू होते हैं।

3.5 संसद द्वारा स्थापित निगमों की लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19(2) संसद द्वारा स्थापित निगमों के लेखाओं अथवा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। अधिनियम में प्रावधान है कि ऐसे निगमों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों तथा शक्तियों को उसके द्वारा सम्बंधित विधायिकाओं के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित तथा लागू किया जाएगा। ऐसी ही स्थिति अधिनियम के लागू होने से पहले थी। इस धारा में प्रयुक्त ''विधान'' शब्द में न केवल निगमों से सम्बंधित मूल अधिनियम के प्रावधान से सम्बंधित है परन्तु संबंधित अधिनियमों के तहत उनमें निहित शक्तियों के आधार पर सक्षम प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों तथा अधिनियमों से भी सम्बंधित है।

3.6 राज्यों द्वारा स्थापित निगमों की लेखापरीक्षा

संविधान के अन्तर्गत, केवल संसद विधि द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों तथा शक्तियों को निर्धारित कर सकती है तथा इसीलिए, यह राज्य विधायिका

की क्षमता में नहीं आता कि वह अपने द्वारा स्थापित किसी निगम के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अधिनियमन में प्रावधान करे। तथापि, इस अधिनियम में धारा 19(3) में प्रावधान है, जबकि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की विधायिका के कानून द्वारा स्थापित निगमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी जा सकती है। यह एक राज्य के राज्यपाल अथवा विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक को जनहित में ऐसे एक निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रार्थना करने हेतु प्राधिकृत करता है, तथापि यह प्रार्थना नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के उपरान्त एवं सम्बंधित निगम को ऐसी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्ताव के संबंध में अभिवेदन करने का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् ही की जा सकती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसे निवेदनों पर निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

3.7 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना

अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत धारा 19 के तहत लेखापरीक्षित एक सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संसद/विधायिका के समक्ष रखने के लिए सरकार अथवा सम्बंधित सरकारों को प्रस्तुत की जानी है।

3.8 अन्य प्राधिकरणों तथा निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 20 एक अन्य प्रावधान है जिसके तहत, ऐसा निकाय अथवा प्राधिकरण जो धारा 19 द्वारा कवर नहीं किया गया अथवा जिसकी लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनाए किसी कानून के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, को उसे सौंपा जा सकता है। ऐसी प्रतिबद्धता केवल सार्वजनिक हित में तथा सम्बंधित निकाय को उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् अथवा ऐसी लेखापरीक्षा के प्रस्ताव के संबंध में अभिवेदन बनाने के अधिकार पर की जा सकती है। धारा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा को ऐसे नियमों तथा शर्तों के अन्तर्गत किया जाना चाहिए जिससे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सम्बंधित सरकार के बीच अनुबंध किया जा सके। उप-धारा(1) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृत करती है जो अन्यथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत, राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा सौंपा गया हो। उप-धारा(2) बताती है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल अथवा विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक को उसे न सौंपे गए किन्हीं निकायों

अथवा प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत करने का सुझाव दे सकता है, यदि उसका मत है कि केन्द्र अथवा राज्य अथवा संघ शासित सरकार द्वारा निरन्तर निवेश अथवा ऐसे निकायों को दिए गए अग्रिम अथवा प्राधिकरण के कारण सार्वजनिक हित में ऐसी लेखापरीक्षा आवश्यक है।

4. अन्य प्रावधान

4.1 लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में शक्तियां

अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार है कि वे (क) कोषागार और ऐसे कार्यालय, जो प्रारम्भिक या सहायक लेखाओं को रखते हैं और उन्हें प्रस्तुत करते हैं, को शामिल करके संघ या राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे (ख) वे ऐसी किन्हीं लेखा बहियों, कागजातों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की माँग करें जो उनसे सम्बन्धित होते हैं या उनका आधार बनते हैं अथवा जो उनसे इतर ऐसे लेन देनों से सम्बद्ध हैं जिनसे लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उसके कर्तव्य बढ़ जाते हैं (ग) ऐसे प्रश्न करें या ऐसी टिप्पणियाँ दें जैसा वे आवश्यक समझें और इस प्रकार की सूचना की माँग करें जो किसी लेखा या रिपोर्ट के तैयार करने की बाबत अपेक्षित होती है। इस धारा की उपधारा 2 किसी कार्यालय या विभाग के प्रभारी व्यक्तियों पर लागू होती है जिनके लेखाओं का निरीक्षण और लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे निरीक्षण के सम्बन्ध में सभी सुविधाएं प्रदान करें और जानकारी के सम्बन्ध में किये गये अनुरोधों का यथासम्भव पूर्णरूपेण और युक्ति युक्त शीघ्रता से अनुपालन करें। यह ध्यान रखा जाए कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विशेष रूप से धारा 15, 19(3) और 20 के अधीन उसके द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने वाले निकायों और प्राधिकरणों की बहियों और लेखाओं की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है।

4.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रत्यायोजन

धारा 21 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जानी वाली कोई भी शक्ति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विभाग के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। इन उपबन्धों के अधीन उसके अधीन कार्य करने वाला भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से शक्ति प्राप्त करता है। तथापि, प्रत्यायोजन इस शर्त के अध्यधीन है कि उस दशा के अतिरिक्त जब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अवकाश पर हो, या अन्यथा अनुपस्थित हो, कोई भी अधिकारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से किसी ऐसी रिपोर्ट को भेजने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा,

जिसे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है प्रशासक को भेजने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संविधान यह संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 द्वारा अपेक्षित है।

4.3 केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार केन्द्र सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की बाबत वहाँ तक नियम बनाने की शक्ति दी जाती है जहाँ तक कि वे लेखाओं को रखे जाने से संबंधित है।

4.4 विनियम बनाने की शक्ति

अधिनियम की धारा 23 के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की बाबत वहाँ तक विनियम बनाने का प्राधिकार दिया जाता है जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के परिक्षेत्र और विस्तार से सम्बन्धित है और जिनके अन्तर्गत सरकारी विभागों के मार्ग दर्शन के लिये सरकारी लेखे रखने के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में व्यापक सिद्धान्त भी शामिल होते हैं।

ऐसी शक्तियों के उपयोग में ''लेखापरीक्षा तथा लेखाओं पर विनियम, 2007'' बनाया गया था। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकार के अन्तर्गत जारी लेखापरीक्षा हेतु दिए गए अनुदेश जो स्थायी आदेश नियमावली (लेखापरीक्षा) तथा अन्य विभागीय प्रकाशनों में समाविष्ट हैं, को भी इसी धारा के प्रावधानों में सम्मिलित किया जायेगा।

4.5 विस्तृत लेखापरीक्षा को छोड़ने की शक्ति

अधिनियम की धारा 24 के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार दिया जाता है कि वे किसी लेखा या संव्यवहारों के वर्ग की ब्यौरेवार लेखापरीक्षा के किसी भाग को; जब परिस्थितियाँ ऐसी माँग करें, लेखापरीक्षा करने से छोड़ सकता है और उक्त लेखाओं या संव्यवहारों के सम्बन्ध में सीमित प्रतिबन्ध लागू कर सकता है। लेखापरीक्षा के विस्तार और लेखापरीक्षा की प्रमात्रा तथा विस्तार के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिकार के अधीन समय समय पर जारी किये गये अन्य परिपत्रों से सम्बन्धित गुप्त अनुदेशों के ज्ञापन में दिये गये उपबन्ध के अनुसार इस धारा से उनके प्राधिकार प्राप्त हो सकेंगे।

अनुबंध – ।

कम्पनी अधिनियम के सुसंगत प्रावधान, 1956

617. "सरकारी कम्पनी" की परिभाषा

इस अधिनियम के संबंध में सरकारी कंपनी की परिभाषा ऐसी कंपनी के रूप में दी गई है जिसमें 51 प्रतिशत से अनधिक शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशतः और एक या एकाधिक राज्य सरकारों द्वारा अंशतः रखी जाती है और उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो इस प्रकार परिभाषित सरकारी कंपनियों की सहायक हैं।

619 धारा 224 से 233 की सरकारी कम्पनियों पर प्रयुक्ति

(1) धारा 224 से 233 में किन्ही बातों के होते हुए भी, एक सरकारी कंपनी के मामले में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से सरकारी कंपनी का लेखापरीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त करेगी।

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियुक्त या पुनर्नियुक्त लेखापरीक्षक के संबंध में धारा 224 की उपधारा (1-ख) तथा (1-ग) में निर्दिष्ट सीमाएं लागू होंगी।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शक्ति होगी-

(क) वह तरीका जिसमें उपधारा (2) के अनुसरण में नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी निर्दिष्ट करने और ऐसे लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षक के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी विषय में अनुदेश देने;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से कंपनी के लेखाओं की अनुपूरक या नमूना लेखापरीक्षा करवाने जिन्हें वह इस कार्य के लिए अधिकृत करे तथा ऐसी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से इस प्रकार अधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे मामले पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे फार्म में जानकारी या अतिरिक्त जानकारी भेजने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा, जिसके लिये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक किसी सामान्य या विशेष आदेश के तहत निर्देश दे।

(4) पूर्वोक्त लेखापरीक्षक अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, जैसा वह उपयुक्त समझें, लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने तथा अनुपूरक रिपोर्ट देने का अधिकार होगा।

(5) लेखापरीक्षा रिपार्ट पर ऐसी टिप्पणियां या अनुपूरक रिपोर्ट उसी समय और उसी तरीके से कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी जब और जैसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

कंपनी अधिनियम के सुसंगत प्रावधान 2013

सरकारी कम्पनियों पर प्रावधानों का सार

2 (*45*): ''सरकारी कम्पनी'' से तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजी का भाग इक्यावन प्रतिशत से कम न हो, केन्द्र सरकार, अथवा राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों तथा एक ऐसी कम्पनी सहित जो ऐसी एक सरकारी कम्पनी की सहायक कंपनी है।

139 (*5*): तथापि, उप-धारा (*1*) में निर्दिष्ट, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित सरकारी कम्पनी या अन्य दूसरी कम्पनी के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय वर्ष शुरू होने से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने हेतु यथावत् योग्यता प्राप्त लेखापरीक्षक को नियुक्त किया जाएगा जो वार्षिक बैठक के निष्कर्ष तक कार्यालय संचालित करेगा।

139 (*7*): तथापि उप-धारा(*1*) अथवा उप-धारा(*5*) में निर्दिष्ट है कि सरकारी कम्पनी और अन्य कोई कम्पनी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित सरकारी कम्पनी या अन्य दूसरी कम्पनी के मामले में पहला लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकृत होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कथित अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्त नहीं करते हैं तो कंपनी का निदेशक मंडल अगले तीस दिनों के भीतर इस लेखापरीक्षक को नियुक्त करेगा; और यदि अगले तीस दिनों के भीतर इस लेखापरीक्षक की नियुक्ति करने में बोर्ड विफल रहता है तो यह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो एक अद्वितीय सामान्य बैठक पर साठ दिनों के भीतर इस लेखापरीक्षक को नियुक्त करेगें जो प्रथम सामान्य वार्षिक बैठक के निष्कर्ष तक कार्यालय को संचालित करेगा।

143 (*5*): सरकारी कंपनी के मामले में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा(*5*) अथवा उप-धारा(*7*) के अन्तर्गत लेखापरीक्षक को नियुक्त करेंगे तथा उस लेखापरीक्षक को सरकारी कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए निर्देशित करेंगे तथा उसके बाद नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ यदि कोई निर्देश हो तो उसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा, उस पर तथा कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर कार्यवाही की जाएगी।

143 (*6*): भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उप-धारा (*5*) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ (60) दिनों में निम्नलिखित करने का अधिकार होगा-

(*क*) कम्पनी के वित्तीय विवरण की ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिसे उन्होंने इसके लिए तथा ऐसी लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृत किया हो, के द्वारा एक पूरक लेखापरीक्षा करा सकता है तथा ऐसी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ऐसे मामलों पर प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा ऐसे स्वरूप में जैसा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निर्देश करें आवश्यक सूचना अथवा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए; और

(*ख*) ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी तथा पूरक दे सकता है: परन्तु लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अथवा इसके पूरक पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी कंपनी द्वारा धारा 136 की उप-धारा(*1*) के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियों का अधिकारी है, को भेजी जाएंगी तथा उसी समय पर और उसी ढंग से जैसाकि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में है, कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष भी रखी जाएगी।

143 (*7*): इस अध्याय के प्रावधानों को हानि पहुँचाए बिना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक धारा 139 की उप-धारा(*5*) तथा उप-धारा(*7*) के तहत आने वाली किसी कंपनी के मामले में यदि वह आवश्यक समझे, एक आदेश के द्वारा ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा करा सकता है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तें), अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर लागू होंगे।

394 (*1*): जहाँ केन्द्र सरकार एक सरकारी कम्पनी की एक सदस्य है, वहाँ केन्द्र सरकार को कार्य पर एक वार्षिक रिपोर्ट बनानी होगी तथा उस कम्पनी के मामले – (*क*) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी से पहले इसकी वार्षिक सामान्य बैठक

से तीन माह के भीतर तैयार करना तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट धारा 143 के उप-धारा(*6*) हेतु परन्तुक के अन्तर्गत रखी गई है, तथा (*ख*) ऐसी तैयारी के उपरान्त जितनी जल्दी हो सके, उसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर टिप्पणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट की पूरक की एक प्रति के साथ एकसाथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना है, जिनको भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा बनाया गया हो।

394 (*2*): जहां केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी एक सरकारी कम्पनी की सदस्य है, उस राज्य सरकार को उप-धारा(*1*) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर टिप्पणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट की पूरक की एक प्रति के साथ एकसाथ संसद अथवा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए उप-धारा(*1*) के अन्तर्गत तैयार वार्षिक रिपोर्ट की प्रति बनानी होगी।

395 (*1*): जहाँ केन्द्र सरकार एक सरकारी कम्पनी की सदस्य नहीं है, प्रत्येक राज्य सरकार जो उस कंपनी की सदस्य है, अथवा जहाँ पर केवल एक राज्य सरकार कंपनी की सदस्य है, वहाँ उस राज्य सरकार को कार्य पर एक वार्षिक रिपोर्ट बनानी होगी तथा कंपनी को-

(*क*) धारा 394 की उप-धारा(*1*) में निर्दिष्ट समय के भीतर तैयार करना, तथा

(*ख*) ऐसी तैयारी के उपरान्त जितनी जल्दी हो सके, इसे उस धारा की उप-धारा (*1*) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा इस पर टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की पूरक की एक प्रति को सदन अथवा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष एकसाथ रखना है।

(*2*) इस धारा तथा धारा 394 के प्रावधानों को जहां तक हो सके, परिसमापन में एक सरकारी कंपनी में लागू करना है जैसाकि वे अन्य सरकारी कम्पनी में लागू हैं।

टिप्पणी: अधिनियम के प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होंगे।